कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Website : https://mymmc.org., E-mail ID-muzaffarpur.ulb@gmail.com, Control Room- 7870031117

(ई–टेंडरिंग द्वारा https://eproc2.bihar.gov.in/)

ई–अति–अल्पकालिन सार्वजनिक बन्दोबस्ती

आमंत्रण सूचना सं0–02/MMC/STALL/2026-27 (4th Call)

1.	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता	:	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर
2.	खुला डाक बंदोबस्ती आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	:	06.07.2026
3.	प्री बीड मीटिंग की तिथि एव समय		दिनांक–14.07.2026 को समय 13:30 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न स्थान–नगर आयुक्त का कार्यालय, नगर निगम सभागार, मुजफ्फरपुर।
4.	टेंडर कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि/समय	:	दिनांक 13.07.2026 से 19.07.2026 के 15:00 बजे तक (on website https://eproc2.bihar.gov.in/)
5.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय	:	दिनांक 23.07.2026 के 15:30 बजे के बाद। (on website https://eproc2.bihar.gov.in/)
6.	तकनीकी निविदा की जाँच/मूल्यांकन कर सफल निविदादाओं की सूची आपलोड करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 27.07.2026 के 15:30 बजे के बाद। (on website https://eproc2.bihar.gov.in/)
7.	ई–नीलामी प्रारंभ तथा समाप्त होने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 01.08.2026 को 11:30 बजे से 15:00 बजे तक।

8. कार्य का विवरण

क्र. सं.	बन्दोबस्ती स्थल का नाम संबंधित बन्दोबस्ती मद	न्यूनतम डाक मूल्य (प्रति माह की दर से)	जमानत की राशि अग्रधन के रूप में	खुला डाक में भाग लेने से संबंधित शुल्क (अप्रत्यपर्नीय) Non-Refundable	बन्दोबस्ती की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जुब्बा सहनी पार्क कैन्टीन संख्या–01 में अल्पहार व्यवसाय हेतु।	15000.00	11000.00	1000.00	एकरारनामा की तिथि से तीन वर्ष के लिए
2.	मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जुब्बा सहनी पार्क कैन्टीन संख्या–02 में अल्पहार व्यवसाय हेतु।	15000.00	11000.00	1000.00	एकरारनामा की तिथि से तीन वर्ष के लिए

पंजीयन की प्रक्रिया :–

1. ई–ऑक्शन के प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in) में सर्वप्रथम पंजीयन करना आनिवार्य होगा। यदि बोलीदार द्वारा पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। सम्भावित बोलीदाताओं को निलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी–III डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) एवं यूजर आई0डी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल संख्या होना अनिवार्य है।
2. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in) पर पंजीयन लिंक के द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया सर्वप्रथम पूरी करनी होगी। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑन–लाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा। विंडो में दर्शित Captcha को दर्ज करना अपना पंजीयन करना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के

बाद सम्बंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क केवल ऑन–लाईन माध्यम से स्वीकार किया जायेगा जो (https://eproc2.bihar.gov.in) पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना होगा।

3. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विंडो पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गयां है, ऐसा संदेश प्राप्त होगां। यदि आवश्यकता हो तो सम्बंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते है तथा इसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगा।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आई0डी0, पासवर्ड एवं स्वयं में डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए निलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

ई–ऑक्शन की प्रक्रिया :–

1. नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को (https://eproc2.bihar.gov.in) पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा। पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।
2. अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेगें। जो निम्नवत है:–
   (क) पैन कार्ड की प्रति।
   (ख) जी0एस0टी0 की अभिप्रमाणित प्रति।
   (ग) आधार कार्ड की प्रति।
   (घ) रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।
3. सफल निविदादाता को आचरण प्रमाण–पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत) अभिप्रमाणित के रूप में संलग्न करना जरूरी है।
4. सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् निगम कार्यालय द्वारा प्राधिकृत बोली आमंत्रण प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले बोलीदाताओं को ही ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।
5. आक्शन मोड के चयन के उपरांत आपको संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरांत नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में दर्शित होगी।
6. प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर के विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
7. किसी विशिष्ट सम्पदा के ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति समय से 03 मिनट पहले यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को अगले 10 मिनट तक के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। विस्तारित अवधि में उच्चतम बोली से अधिक बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विस्तारित अवधि के समाप्ति के पश्चात बोली की प्रक्रिया बन्द कर दी जायेगी।
8. प्रत्येक बोली में वृद्धि मूल्य, Base Price का 2% प्रतिशत होगा।
9. सफलतम बोलीकर्त्ता को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–पद्धति के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्त्ता होने की सूचना दी जाएगी।
10. बोली लगाते समय सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणों के सुचारू रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनिकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी

मामलों में नगर निगम कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी से संबंधित सभी निर्देशों, नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।
12. ई–नीलामी संबंधित विवरणी एवं नियम–शर्त्तों की जानकारी e-Procurement Portal https://eproc2.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।
13. Auction processing fee संबंधित बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो केवल Internet Banking/Debit Card/Credit Card/ Payment Gateway https://eproc2.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एवं स्वीकार किया जायेगा।
14. Auction processing fees and Auction form fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी हेतु पंजीकरण कराने एवं ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्त्तों को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्त्तों उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अस्वीकारात्मक होगी।
16. ई–नीलामी से संबंधित बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को बदलने अथवा भविष्य में लिये जाने वाले निर्णय का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित होगा, जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति पूर्णतः अस्वीकारात्मक होगी।
17. ई–नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओं द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रमाण पाया जाता है तो उन्हें उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के बावजूद भी उनके डाक को रदद् कर जमा राशि जप्त कर लिया जोयगा।
18. निविदादाता डाक में भाग लेने से पूर्व बंदोबस्ती स्थल का भ्रमण कर सकते है बाद में इस संबंध में कोई दावा/विवाद मान्य नही होगा। किसी भी डाक को बिना शर्त कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
19. बन्दोबस्ती में डाक़ निर्धारित अधिक्तम डाक मूल्य के आधार पर पूरे तीन वर्षो के लिए निर्धारित की जायेगी।
20. बन्दोबस्ती अवधि का तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त डाकवक्ता का आचरण स्वच्छ एवं कार्य–कलाप संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए मासिक किराया दर में 15 प्रतिशत (15%) की वृद्धि कर नियमानुसार एकरारनामा के विस्तार पर विचार किया जायेगा।
21. सफल डाकदाता को सफल डाक की मासिक किराया राशि का **तीन माह का अग्रिम किराया (सुरक्षित जमा राशि)** के रूप में एक सप्ताह के अन्दर बैंक ड्राफ्ट (नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर) अथवा नगद राशि कोषपाल, नगर निगम, मुजफ्फरपुर में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।
22. सफल डाकदाता को 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा तथा एकरारनामा कराने में व्यय राशि उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
23. प्रत्येक माह का मासिक किराया के अतिरिक्त नियमानुसार जी0एस0टी0 तथा यूजर चार्ज के साथ अगले माह के 05 तारीख तक भुगतान कर रसीद प्राप्त करना होगा। मासिक किराया ससमय भुगतान ना करने की स्थिति में बकाया मासिक किराया राशि में प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत दण्ड अधिरोपित कर मासिक किराया वसूली किया जायेगा।
24. एकरारनामा का उल्लंघन होने पर 15 दिनों का नोटिस देकर सुरक्षित जमा राशि की सम्पूर्ण राशि बिना किसी सूद के एकरारनामाधारी द्वारा कैन्टीन खाली किये जाने के 15 दिनों के अन्दर लौटा दिया जायेगा।

सुरक्षित जमा राशि लौटाये जाने के समय अगर मासिक किराया की राशि एकरारनामाधारी पर बकाया पाया गया तो सम्पूर्ण बकाये की राशि काटौती कर सुरक्षित जमा राशि लौटाया जायेगा। यदि कैन्टीन खाली कराने में निगम को कोई व्यय करना पड़ेगा तो यह राशि भी एकरारनामाधारी के सुरक्षित जमा की राशि से काट कर शेष राशि हीं लौटाया जायेगा।

25. बंदोबस्ती की अवधि समाप्ति तिथि को कैन्टिन खाली करने के पश्चात् किसी प्रकार का बकाया नहीं रहने का No-Dues प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 15 दिनों के अन्दर सुरक्षित जमा राशि की सम्पूर्ण राशि बिना किसी सूद का लौटा दिया जायेगा।
26. कैन्टीन का रख–रखाव स्वयं करना होगा। नगर निगम की अनुमति के बिना कैन्टीन का विस्तार या तोड़–फोड़ करना अवैध माना जायेगा और इसे निर्धारित शर्त्तो का उल्लंघन माना जायेगा।
27. बंदोबस्ती ले लेने के बाद इस सूचना एवं एकरारनामा में अंकित शर्त्तो के संबंध में एकरारनामाधारी या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना मान्य नहीं होगा।
28. अपरिहार्य कारणवश डाक की तिथि में परिवर्तन करने या इसे स्थगित करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
29. इस संबंध में विशेष जानकारी के लिये नगर निगम के स्टॉल प्रभारी से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
30. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय ज्ञापांक–163 (E) दिनांक 10.01.2024 के आलोक में निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा। अग्रधन की राशि ऑनलाईन पेमेन्ट स्वीकार किया जायेगा। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे–सभी शपथ–पत्र (मूल में) एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
31. अतिरिक्त शर्त्त एवं बंधेज एकरारनामा में अंकित किया जायेगा।

06/07/26

नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

04/07/26

ज्ञापांक 2128/स्था० मु०न०नि०, मु०ज० दिनांक 06/07/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी कम्प्यूटर शाखा को website https://mymmc.org/ एवं https://eproc2.bihar.gov.in/ पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– DIO, NIC, Muzaffarpur को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि NIC के website पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– माननीया महापौर/माननीया उप महापौर, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06/07/26

नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

04/07/26